विचार बिन्दु

अज्ञानी होना मनुष्य का असाधारण अधिकार नहीं है बल्कि स्वयं को अज्ञानी जानना ही उसका विशेषाधिकार है। –राधाकृष्णन

जवाबदेही के बिना सुशासन संभव नहीं

वैसे तो सुशासन के संबंध में कई विशेषज्ञों ने शोध किया है और विभिन्न प्रकार के सुझाव भी समय-समय पर दिए हैं, किंतु सबसे बड़ी समस्या जो सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, वह है जवाबदेही का नितांत अभाव। जिस प्रकार की घटनाएं निरंतर देश में घटित हो रही हैं, उनको देखकर तो यही लगता है कि जिन व्यक्तियों की अकर्मण्यता या भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों-अरबों का नुकसान सरकार को होता है या जिनके कारण लोगों की जान तक चली जाती है, उनके ऊपर न तो किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है न उन्हें सजा मिलती है। हाल ही की कुछ घटनाओं के उदाहरण देना उपयुक्त होगा।

भारत में 8000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी बालक का नामांकन नहीं है, किंतु वहां पर 20000 शिक्षक पद स्थापित हैं। स्वाभाविक है, इनके पास कोई काम नहीं है। यदि एक शिक्षक का औसत वेतन 40000 महीना भी मान लें (वैसे तो यह इससे कहीं अधिक है) तो भी प्रति माह सरकार को लगभग 80 करोड रुपए का चूना लग रहा है। यदि एक साल इसी प्रकार निकल जाए तो पैसे की बर्बादी, लगभग 1000 करोड की होती है। यह दुरुपयोग किसी को दिखता नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी भी तय नहीं होती। एक ओर जहां लाखों विद्यालयों में शून्य या एक-एक शिक्षक पद स्थापित है, वहीं बिना विद्यार्थियों के शिक्षकों का पदस्थापन अक्षम्य अपराध होना चाहिए, जिसके लिए जिम्मेदार को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। किंतु, ऐसा होता नहीं है ।

जयपुर में लंबे-लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर बनाए गए, जिन पर करोड़ों का खर्च किया गया। कई वर्षों तक इनके कारण सड़कों की चौड़ाई कम हुई और ये कॉरिडोर कभी काम भी नहीं आए। बाद में इन्हें तोड़ने का निर्णय लिया गया। जिन अधिकारियों ने बीआरटीएस बनाने का निर्णय लिया क्या उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

अजमेरी गेट के लगभग तीस साल पहले बनाए गए पैदल भूमिगत पथ (pedestrian subway) के खराब अनुभव के बावजूद इसी प्रकार का एक सब वे जवाहर सर्किल के नीचे भी बनाया गया है। यहां केवल मलमूत्र और गंदगी पड़ी रहती है और आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। इसके निर्माण के समय कई महीनों तक सड़क को अवरूद्ध किया गया तथा लाखों रुपए इस पर खर्च हुए।

क्या जेडीए के उन अधिकारियों से यह पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार के सबवे को बनाने की स्वीकृति दी? सामान्यतया राजनीतिज्ञों को दोष दिया जाता है किंतु जो लोग तकनीकी रूप से शिक्षा प्राप्त हैं और विशेषज्ञ हैं वे इस प्रकार का कार्य करने में क्यों सहयोगी बन जाते हैं, यह विचारणीय है ।

यही हाल पूरे जयपुर शहर में बने फुट ओवरब्रिज का है। उदाहरण के लिए कलेक्टरेट बनीपार्क सर्किल, नारायण सिंह सर्किल और लक्ष्मीमंदिर तिराहे पर बड़े, ऊंचे पैदल ओवरब्रिज बनाए गए जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। इन्हें बने सालों हो गए किंतु इनका उपयोग नगण्य है।

रोड अंडरपास या सबवे की हालत तो और भी खराब है। अजमेरी गेट पर सबवे लगभग तीस वर्ष पूर्व बनाया गया किंतु आज तक काम नहीं आया। यहां लाइट बंद रहती है, इसके कारण यह आसामाजिक तत्वों का अड्डा बन कर रह गया है। अब अगर कोई चाहे तो वहां की गंदगी और आवारा लोगों के बीच में किसी का भी निकलना असंभव है।

डी ओ आई टी में हजारों एटीएम, डिजिटल पेमेंट मशीन, स्कैनर आदि खरीदे गए किंतु बिना किसी उपयोग के ये वैसे ही पड़े पड़े कबाड़ हो गए । इनका कोई उपयोग नहीं हुआ। इस कारण लगभग 2000 करोड़ से अधिक की बर्बादी हो गई। यह वही पैसा है जो देश के प्रत्येक नागरिक से, यहां तक कि गरीबों से भी किसी न किसी टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। क्या सरकारी धन का इस प्रकार दुरुपयोग होने पर किसी जिम्मेदार अधिकारी को दंड का भागी नहीं बनना चाहिए? किसी को ऐसा दंड नहीं मिलता है तो इसका केवल एक ही कारण है, किसी की जवाबदेही निश्चित नहीं की गई। क्या जवाबदेही तय नहीं करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

राज्य की अधिकतर महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जहां एक ओर सरकार की बदनामी होती है, वहीं गरीब लोग इलाज प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। सरकारी खरीद की दवा पीकर बच्चे मर गए किंतु किसी को दंड नहीं मिला। ऐसा प्रक्रिया में जटिलता के कारण और अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रहा है। किसी के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित नहीं होगी तो लोग क्यों अपनी जिम्मेदारी समझ कर जनता के हित में काम करने की कोशिश करेंगे?

सरकारी धन का जिस प्रकार से निर्दयतापूर्वक दुरुपयोग किया जा रहा है उसको देखकर तो यही कहावत याद आती है, "मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन "। यदि सरकारी धन के दुरुपयोग की वसूली संबंधित अधिकारियों से होगी तो इस प्रकार की प्रवृत्ति पर भविष्य में रोक अवश्य लगेगी। आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है। यदि सरकारी धन का इसी प्रकार दुरुपयोग होता रहा तो जनता संभव है, टैक्स देना ही बंद कर दे, जैसा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के जमाने में असहयोग आंदोलन के दौरान किया था।

कुछ दिनों में ही कई बसों में आग लगने से अनेक लोग जलकर मर गए। एक ए सी बस में आपातकालीन निकास के दरवाजे को बंद कर रखा था जिसके कारण आग लगने पर लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। इस बस दुर्घटना में 21 लोगों की जान जलने से चली गई और कई झुलस गए। इनकी गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया कि बसों की सुरक्षा संबंधित जांच के बाद ही उन्हें सड़क पर चलने की अनुमति दी गई होगी। वे यह भूल गए कि सरकार में जवाब देही के अभाव में किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। केवल कुछ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और वे भी कुछ दिनों बाद पुन: पूरी वेतन के साथ नौकरी में आ जाएंगे। किसी को जेल भेजा गया हो अथवा उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी गई हो, ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

एक और बस में आग इसलिए लग गई कि वहां बस के ऊपर भरे हुए गैस सिलेंडर और मोटर साइकिल रखी हुई थी । इस कारण बस की ऊंचाई निर्धारित सीमा से अधिक हो गई। जैसे ही बस करंट वाले बिजली के तारों के संपर्क में आई, उसमें आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई । इसमें भी दो व्यक्तियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना का एक कारण यह भी था कि बिजली के तार जितने ऊंचे होने चाहिए थे, वे लटक कर नीचे आ गए थे और बस में रखे सिलेंडरों के संपर्क में आने से सिलेंडर में विस्फोट हो गया । प्रतिदिन इस प्रकार के वाहन चलते हैं, किंतु शायद विभाग के अधिकारियों को दिखाई नहीं देते हैं या उनकी आंखों पर रिश्वत की पट्टी बंधी होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। जिन व्यक्तियों के ऊपर अधीनस्थ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी है, वे स्वयं ही अपने कर्तव्य को भूल कर उनसे मंथली वसूल करने लगें तो सजा कौन देगा? कानून तो इतने कड़े हैं कि शोरूम से निकली नई बस का भी फिटनेस सर्टिफिकेट रोका जा सकता है। किंतु चलती बसों की फिटनेस केवल कागज़ों में ही होती है।

उच्च नैतिकता का एक उदाहरण तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रस्तुत किया था। एक रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था । बार-बार हो रहे बड़े हादसों के बावजूद न तो परिवहन मंत्री ने अब तक कोई जिम्मेदारी ली न किसी उच्च अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित की गई।

सड़कें बनने के कुछ ही समय बाद उनमें गड्ढे पड़ जाना, पुल बनने के बाद पहली बारिश में टूट जाना, स्कूल की छत गिरने से बच्चों का मर जाना, किसी स्थान पर भीड़ के कारण भगदड़ में मर जाना, ऐसी घटनाएं हैं जो टाली जा सकती हैं, यदि जवाबदेही निर्धारण करने का काम सख्ती से हो। नदियों में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था या लाइफ जैकेट के, नावें चलने देने के कारण कई लोग मर जाते हैं किन्तु इसके लिए जिम्मेदार के विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं होती।

बिना लाइसेंस के पटाखे की बिक्री करना कानूनन अपराध है, किंतु अधिकांश पटाख़ों की दुकानें बिना लाइसेंस के अनाधिकृत चल रही हैं। जहां लाइसेंस मिल भी जाता है तो वह भी सुरक्षा की पूरी जांच के बिना केवल कुछ राशि लेकर दे दिया है। इससे उस क्षेत्र के लोगों की जान को कितना खतरा होता है इसकी किसी को परवाह नहीं है।

सरकारी धन का जिस प्रकार से निर्दयतापूर्वक दुरुपयोग किया जा रहा है उसको देखकर तो यही कहावत याद आती है, "**मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन** "।

लगभग यही स्थिति न्यायालयों की भी है । कई सालों तक जेल में रहने के बाद अभियुक्त को दोष मुक्त करके बरी कर दिया जाता है। ऐसे उदाहरण हैं, जहां झूठे मुकदमों में लोगों को फंसा कर सालों तक जेल में रखा गया और बाद में बिना किसी सबूत के उन्हें छोड़ना पड़ा। ऐसे किसी प्रकरण में किसी पुलिस अधिकारी पर कोई सजा हुई हो या किसी अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा गलत निर्णय देने के कारण उन पर कोई कार्रवाई हुई हो, यह ज्ञात नहीं है । जब किसी की जवाबदेही होगी ही नहीं तो फिर लोग जिम्मेदारी के साथ काम क्यों करेंगे? यही कारण है कि इस प्रकार के घटनाएं और जनता की जान के साथ खिलवाड़ निरंतर चलता रहता है।

यदि सरकारी धन के दुरुपयोग की वसूली संबंधित अधिकारियों से होगी तो इस प्रकार की प्रवृत्ति पर भविष्य में रोक अवश्य लगेगी। आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है। यदि सरकारी धन का इसी प्रकार दुरुपयोग होता रहा तो जनता संभव है, टैक्स देना ही बंद कर दे, जैसा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के जमाने में असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। लोगों को लगेगा कि उनके पैसे का उनके हित में सही तरह से उपयोग नहीं हो रहा है तो वे टैक्स क्यों दें? आशा की जानी चाहिए कि ऐसे स्थिति होने से पूर्व सरकार चेते और लापरवाही, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करे। अंत में यही कह सकते हैं कि सुशासन का मूल मंत्र ही जवाबदेही है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

एक भी पात्र का नाम न छूटे, न ही अपात्र वोट दे पाए, यही लोकतंत्र है

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम - 2026
चार नवंबर से चार दिसंबर तक चलेगा गणना प्रपत्र भरवाने का चरण

डॉ. बनवारी लाल यादव

मंगलवार से बीएलओ आपके घर आएंगे, इन्हें सही जानकारी दें ताकि राज्य में एक भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहे, किसी भी घुसपैठिये का नाम सूची में हो तो कट जाए, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग देशभर में मतदाता सूचियों का एसआईआर करवा रहा है। बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है।

राजस्थान सहित 12 राज्यों में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर के तहत बीएलओ घर-घर जाकर सर्वेक्षण का काम शुरू करेंगे। 4 नवबंर से 4 दिसंबर तक की यह अवधि काफी अहम है क्योंकि इसमें राज्य के सभी बीएलओ मतदाताओं के घर-घर पहुंचकर उनसे 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवाएंगे जिसमें से एक प्रति रसीद के तौर पर मतदाता के पास ही रहेगी।

प्रदेश में वर्ष 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं। इसमें 2.84 करोड़ पुरूष, 2.65 करोड़ महिला और 681 अन्य मतदाता हैं। इनकी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाकर जांच की जानी है।

क्या है गणना प्रपत्र-

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र काफी आसान बना दिया है। अब यह एक ही पृष्ठ का है और उसमें भी मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे- नाम, ईपिक नंबर, पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग एवम क्रमांक संख्या पहले से ही भरी हुई आ रही हैं। साथ ही मतदाता की फोटो भी गणना प्रपत्र पर छपी हुई है।

बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उसे भरने में सहायता भी करेंगे। प्रपत्र में मतदाता को जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व ईपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व ईपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी। इसके साथ ही एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी।

■ एसआईआर का फॉर्म भरना होगा आसान, बीएलओ घर-घर पहुंचाएंगे प्रपत्र : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

गणना प्रपत्र में ही विगत एसआईआर की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की सूचनाएं लेकर भरी जानी है जिन मतदाताओं का स्वयं का नाम विगत एसआईआर में शामिल नहीं है किंतु उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता/ दादा-दादी/ नाना-नानी आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उक्त रिश्तेदार का विवरण भरा जाकर मैपिंग की जाएगी।

वर्तमान मतदाताओं की विगत एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैपिंग जारी

सभी राज्यों की मतदाता सूचियां अपलोड कर दी गयी है। साथ ही यह लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। विगत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर किसी वर्तमान मतदाता के माता-पिता/ दादा-दादी / नाना-नानी आदि का नाम शामिल है तो सटीक और सत्यापित पारिवारिक संबंध के माध्यम से वंशावली मानचित्रण (मैपिंग) की जा रही है। जिससे अधिकांश मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। राज्य में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है, जिसमें से 83 प्रतिशत की मैपिंग की जा चुकी है। वहीं 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं इनकी भी अब तक 50 प्रतिशत मैपिंग का कार्य किया जा चुका है। अब तक कुल 65.3 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य बीएलओ ऐप पर भी किया जा चुका है। गणना चरण के दौरान यह मैपिंग और अधिक हो जाएगी।

क्या करेंगे बीएलओ?

– घर-घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) की दो प्रतियां आपको देंगे।

– विगत एसआईआर की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की सूचनाएं लेकर मैपिंग में मतदाता की सहायता करेंगे। समस्त राज्यों की विगत एसआईआर की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर उपलब्ध है।

– आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को एकत्रित करेंगे और उसे ऐप पर अपलोड करेंगे।

क्या करेंगे आप?

– विगत एसआईआर की मतदाता सूची से मैपिंग हेतु आवश्यक सूचनाएं बीएलओ को उपलब्ध करावें।

– गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें

– भरे हुए गणना प्रपत्र को जमा करावें एवं 1 प्रति रसीद के रूप में अपने पास रखें।

चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए वॉलंटियर एवं हेल्प की सुविधा।

4 दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करावे, ताकि आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे, इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6, घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र) के साथ भरना होगा।

बीएलओ एडवायजरी :- निर्वाचन विभाग राजस्थान ने सभी बीएलओ के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मुख्य एसआईआर के कार्य के दौरान आईडी कार्ड पहनने, कार्य का समयबद्ध निष्पादन करने, दैनिक प्रगति का अभिलेखन बीएलओ सारांश शीट में करने, मैपिंग में सहायता करने, बूथ लेवल एजेंटों के साथ समन्वय बनाने, आईटी हेल्प डेस्क एवं ईआरओ से आवश्यकता पड़ने पर परामर्श लेने से संबंधित बिंदु है।

राज्य के मतदाताओं से अपेक्षा है कि 4 दिसंबर तक अपना गणना प्रपत्र नवीनतम फोटो एवं सूचनाओं के साथ अपने बीएलओ को दें। शीघ्र ही इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है।

डॉ. बनवारी लाल यादव
जनसंपर्क अधिकारी,
निर्वाचन विभाग, राजस्थान

एक कुलपति का सफर : पद की गरिमा और सेवानिवृत्ति की कसक

अशोक कुमार

जब कोई व्यक्ति कुलपति बनता है, तो समाज और अकादमिक जगत में उसे एक विशेष पहचान मिलती है। उनके फैसलों का सीधा असर हजारों छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के जीवन पर पड़ता है। इस पद पर रहते हुए उन्हें विशेष सम्मान, प्रोटोकॉल और सुविधाएँ मिलती हैं, जो उनके प्रभाव और कद को दर्शाती हैं। वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। यह अवधि उनके जीवन की सबसे प्रतिष्ठित और संतोषजनक अवधि में से एक हो सकती है, जहाँ वे अपने अनुभवों और दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

कार्यकाल की चुनौतियाँ और दबाव :-सम्मान के साथ-साथ कुलपति के कार्यकाल में अनेक चुनौतियाँ भी आती हैं। उन्हें अकादमिक उत्कृष्टता बनाए रखने, वित्तीय प्रबंधन, अनुसंधान को बढ़ावा देने, छात्रों और कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने, और विभिन्न हितधारकों (सरकार, नियामक निकाय, पूर्व छात्र) के साथ संबंधों को संतुलित करने जैसे कई मोर्चों पर काम करना होता है। राजनीतिक दबाव, बजटीय सीमाएँ, और कभी-कभी संस्थान के भीतर ही आंतरिक विरोध का सामना करना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। यह पद चौबीसों घंटे की मांग करता है, जहाँ उन्हें व्यक्तिगत जीवन को भी नजरअंदाज करना पड़ता है।

प्रत्येक कुलपति अपने कार्यकाल के अंतिम क्षणों में हमेशा एक विचार रखता है कि उसका कार्यकाल बढ़ जाए और इस कारण से विरोधी दल जो कि कुलपति के कार्य से खुश नहीं होते या जो स्वयं कुलपति बनना चाहते हैं, जो पहले कुलपति नहीं बने , तब किसी भी कुलपति के लिए अंतिम समय बहुत ही विरोधाभास रहता है और जितनी शिकायतें हैं उसकी पूरे कार्यकाल में नहीं होती वह सारी शिकायत कुलपति के कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में होती हैं जिससे कुलपति को दूसरा अवसर न मिले!

एक विचित्र बात यह भी है कि कुलपति की नियुक्ति एक संवैधानिक नियुक्ति होती है, लेकिन कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों में यह आदेश मिलता है कि कुलपति किसी भी प्रकार के वित्तीय, शैक्षिणक नियुक्ति आदि नहीं कर सकते। मेरे विचार से कुलपति को अपने कार्यकाल के अंतिम दिवस तक पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते रहना चाहिए। शिक्षक और शिक्षण संस्था के उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए अंतिम दिवस तक कार्य करते रहना चाहिए।

सेवानिवृत्त कुलपति की मानसिकता :-एक सेवानिवृत्त कुलपति की मानसिकता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उनके व्यक्तित्व, कार्यकाल के अनुभव, सेवानिवृत्ति की तैयारी और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर। हालाँकि, कुछ सामान्य भावनाएँ और विचार उनमें देखे जा सकते हैं। कई सेवानिवृत्त कुलपति अपने कार्यकाल के दौरान किए गए योगदानों और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने एक विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया होता है, अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया होता है, और छात्रों व संकाय के जीवन को प्रभावित किया होता है। यह भावना उन्हें संतुष्टि और पूर्णता का अनुभव कराती है। जब कोई व्यक्ति उच्च पद (जैसे कुलपति का पद) से अपने मूल संस्थान में वापस आता है और सम्मान तथा सुविधाओं से वंचित होता है, तो उसे कई तरह की नकारात्मक भावनाएं महसूस हो सकती हैं : निराशा और हताशा। कई कुलपति सेवानिवृत्त होने के बाद अपने संस्थान में वापस नहीं जाते क्योंकि वे अपने संस्थान से भी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अपने विशाल अनुभव और ज्ञान को समाज हित में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने के कई तरीके हैं और इसके पीछे कई प्रेरणाएँ होती हैं:

प्रेरणाएँ -समाज को लौटाना: लंबे समय तक शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में रहने के बाद, बहुत से कुलपतियों में यह भावना होती है कि उन्होंने समाज से बहुत कुछ पाया है। वे अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करके समाज के विकास में योगदान देना चाहते हैं। अनुभवों का सदुपयोग: कुलपति का पद एक अद्वितीय दृष्टिकोण और अनुभव प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति के बाद इस अनुभव को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। वे इसे नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आजीवन काम करने के बाद भी उनका जुनून बरकरार रहता है। वे सक्रिय रूप से शिक्षा के सुधार, नीतियों के निर्माण और युवाओं के मार्गदर्शन में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका अनुभव और सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बने। वे अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ना चाहते हैं।

समाज हित में योगदान के तरीके

वे अपनी आत्मकथाएँ, संस्मरण, अकादमिक लेख या नीतिगत पुस्तकें लिख सकते हैं। वे विभिन्न शैक्षिणक संस्थानों, सार्वजनिक मंचों या सम्मेलनों में व्याख्यान दे सकते हैं। कई कुलपति विभिन्न सरकारी समितियों, शैक्षिणक परिषदों, या गैर-लाभकारी संगठनों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वे अपनी विशेषज्ञता का उपयोग नीति-निर्माण और संस्थागत विकास में मदद करने के लिए करते हैं। वे युवा शिक्षाविदों, प्रशासकों या छात्रों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। कुछ कुलपति सामाजिक विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ते हैं या अपनी खुद की पहल शुरू करते हैं। वे शिक्षा के प्रसार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। वे समाचार पत्रों, टीवी चैनलों या ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर लेख या साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं, जिससे जन जागरूकता बढ़ती है। यह प्रवृत्ति समाज के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह अनुभव, ज्ञान और नेतृत्व को एक नए रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे शिक्षा प्रणाली और व्यापक समाज दोनों को फायदा होता है।

पद-आधारित सम्मान की कड़वी सच्चाई : यह बात कुछ हद तक सच है कि हमारा समाज अक्सर पद और सत्ता में बैठे व्यक्ति को अधिक सम्मान और ध्यान देता है। जब कोई व्यक्ति किसी उच्च पद से सेवानिवृत्त होता है, खासकर कुलपति जैसे प्रतिष्ठित पद से, तो उन्हें यह महसूस हो सकता है कि अब उन्हें वह पहले जैसा सम्मान और सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। यह उनके लिए अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। लोग उन्हें अब कुलपति के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिससे उन्हें अपनी महत्ता में कमी महसूस हो सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद जब व्यक्ति किसी को लाभ देने की स्थिति में नहीं रहता, तो अक्सर ऐसे संबंध फीके पड़ जाते हैं, जिससे सेवानिवृत्त व्यक्ति को अकेलापन और उपेक्षित महसूस होता है।सामाजिक अपेक्षाएँ और तुलना: समाज अक्सर सफल या शक्तिशाली व्यक्तियों को ही देखता और सराहता है। सेवानिवृत्ति के बाद जब वे उस दायरे से बाहर आते हैं, तो उन्हें यह महसूस हो सकता है कि उनकी सामाजिक प्रासंगिकता कम हो गई है। वे अक्सर दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे हीन भावना आ सकती है। हालांकि यह एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन कई सेवानिवृत्त कुलपति इस कष्ट से उबरने और अपने जीवन को फिर से सार्थक बनाने के तरीके ढूंढते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि समाज की यह मानसिकता एक बड़ी चुनौती है, और सेवानिवृत्त कुलपतियों का कष्ट वास्तविक है। लेकिन, कई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा और अनुभवों के बल पर इस चुनौती को पार कर एक नया, सम्मानजनक और संतोषजनक जीवन पाते हैं।

अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विवि, विभागाध्यक्ष
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

राशिफल मंगलवार 4 नवम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, रेवती नक्षत्र दिन 12:35 तक, वज्र योग दिन 3:43 तक, गर करण दिन 12:21 तक, चन्द्रमा आज दिन 12:35 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मीन, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग दिन 12:31तक है। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग दिन 12:35 से सूर्योदय तक है। भद्रा रात्रि 10:32 से आरम्भ होगी। आज काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस, बेकुण्ठ चतुरदशी है। पंचक दिन 12:35 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:26 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 1:32 तक, शुभ 2:54 से 4:16 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:42, सूर्यास्त 5:38 तक

मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

सिंह
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में आपसी वाद-विवाद टालने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

कन्या
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक/वित्तीय मामलों में प्रगति होगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

वृश्चिक
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मीन
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। नवीन कार्य में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।